महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 130 / 79–5–2018

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी ~~जनवरी~~, 2018

विषय– मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0 5660 / 2017 श्रीमती साक्षी मिश्रा बनाम सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद एवं अन्य तथा रिट याचिका सं0 44442 / 2017 तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं तथा महिला अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 23.01.18 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि महिला अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश सं0 1078 / 79–5–17–15 (149) / 10 टी0सी0 दिनांक 13.06.17, 20.09.17 तथा 18.01.18 में निर्धारित सेवा अवधि 05 वर्ष के संबंध में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) प्रथम संशोधन नियमावली 2010 के बिन्दु सं0 8 (2)(घ) में उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में महिला अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में 05 वर्ष की समय सीमा से छूट दिये जाने के संबंध में है।

2. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) नियमावली 2008, अद्यतन संशोधित 2010 के नियम–8 (2)(घ) में निम्न व्यवस्था विद्यमान हैः–

सामान्य परिस्थितियों में महिला अथवा पुरूष अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के आवेदन पत्रों पर 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में महिला अध्यापिकाओं के आवेदनों पर उनके पति के निवास स्थान / ससुराल के जनपद में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु विचार किया जा सकेगा।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली के नियम8 (2)(घ) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में महिला अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आन लाइन पत्र को स्वीकार किये जाने तथा वर्णित विशेष परिस्थिति का परीक्षण कर जनपद में रिक्ति की उपलब्धता की दशा में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0 1078 / 79–5–17–15 (149) / 10 टी0सी0 दिनांक 13.06.17, शासनादेश सं0 1810 / 79–5–17–15 (149) / 10 टी0सी0 दिनांक 20.09.17, शासनादेश सं0 67 / 79–5–18 दिनांक 18.01.18 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। शेष शर्तें यथावत लागू होंगी।

भवदीय

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।